भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 704

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

भारत आटा योजना

704. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री नायब सिंह सैनी:

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत आटा योजना का ब्यौरा और इस पहल के संबंध में सरकार के उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत आटा के लिए नई राजसहायता को मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कया उक्त योजना के तहत गेहूं का आटा बाजार मूल्य से सस्ती दरों पर बेचे जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार आदि की सीमित दुकानों को देखते हुए पीडीएस के माध्यम से भारत आटा बेचने का प्रस्ताव रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने देश की समग्र मांग को पूरा करने और खाद्यान्न वितरण के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने की योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): आटे के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए, खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), जैसे अर्ध-सरकारी और सहकारी

.....2/-

संगठनों के लिए 21.50/- रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से 6 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया है ताकि उसे आटे के रूप में परिवर्तित करके 'भारत आटा' ब्रांड के नाम से जनता को उपलब्ध कराया जा सके और जिसका न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 27.50/- रूपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक न हो। इसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को किफायती मूल्यों पर आटा उपलब्ध कराना है। भारत आटा के अलावा, स्थायी/मोबाइल रिटेल आउट्लेट्स के माध्यम से केन्द्रीय/राज्य सहकारी एजेंसियों द्वारा सब्सिडीयुक्त भारत दाल (चना दाल) और प्याज भी बेचे जा रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को 2,75,936 टन भारत आटा, 2,96,802 टन भारत दाल (चना) और 3,04,40,547 कि.ग्रा. प्याज की बिक्री सब्सिडीयुक्त दरों पर की गई है। आम उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने 'भारत' ब्रांड के तहत चावल की खुदरा बिक्री को भी शुरू किया है जिसका न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 29/- रूपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं है।

(ख): जी हाँ। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने भारत आटा के लिए नेफेड/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार को गेहूं का प्रभावी निर्गम मूल्य 1715 रुपये/क्विंटल बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिनांक 16.12.2023 को आदेश जारी किए गए थे जिसके लिए 2150 रुपये/क्विंटल के मौजूदा आरक्षित मूल्य पर मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) 435 रुपये/क्विंटल की सब्सिडी की अनुमति दी गई थी।

(ग): भारत आटा को 27.50/- रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जा रहा है जो आटे के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य से कम है।

(घ): नेफेड/एनसीसीएफ/ केंद्रीय भंडार द्वारा अपने स्थायी रिटेल आउट्लेट्स और मोबाइल वैन के साथ-साथ अन्य रिटेल श्रृंखला और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी भारत आटा की बिक्री की जा रही है।

(ड.) से (च): दिनांक 01.01.2024 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का स्टॉक क्रमशः 163.53 लाख टन और 181.76 लाख टन था जो बफर स्टॉकिंग मानदंड से अधिक हैं।

******